गलती करना नहीं बल्कि उसे दोहराना ही मूर्खता है

# ईमानदारी का उत्सव

**प्रधानमंत्री ने** मन की बात कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा के क्रम में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख करते हुए यह ठीक ही कहा कि यह ईमानदारी का उत्सव है, लेकिन यह भी सही है कि इस टैक्स व्यवस्था में अभी उत्सवधर्मिता का भाव समाहित होना शेष है। चूंकि इस टैक्स व्यवस्था को लागू हुए एक साल होने वाला है इसलिए इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी के साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जीएसटी का अनुपालन और अधिक बेहतर तरीके से कैसे हो? इस प्रश्न पर इसलिए गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि राजस्व संग्रह उम्मीदों के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। निःसंदेह इसका एक कारण इस नई टैक्स व्यवस्था की कुछ जटिलताएं भी हैं, लेकिन एक वजह टैक्स चोरी की प्रवृत्ति भी है। जो भी इस प्रवृत्ति से ग्रस्त हैं उन्हें यह समझने में और देर नहीं करनी चाहिए कि हेराफेरी अधिक दिनों तक चलने वाली नहीं है। चूंकि टैक्स चोरी के मामले सामने आने का सिलसिला कायम है इसलिए सरकार को उसकी रोकथाम के लिए अभियान चलाने पर विचार करना पड़ रहा है। इसके तहत दोषी लोगों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। यदि टैक्स चोरी नहीं रुकती तो सरकार के समक्ष इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह सख्त तौर-तरीकों को अपनाए।

यह बिल्कुल भी ठीक नहीं कि कई कारोबारी अभी भी फर्जी बिल के जरिये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग जानबूझकर कारोबार कम करके दिखा रहे हैं या फिर नकद लेन-देन भी कर रहे हैं। विडंबना यह है कि इन अनुचित तौर-तरीकों का इस्तेमाल कुछ बड़े कारोबारी भी कर रहे हैं। यह महज गलत तरीके से पैसा बनाने का मामला ही नहीं, बल्कि देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से जानबूझकर मुंह मोड़ना भी है। इसका कोई औचित्य नहीं कि सक्षम-समर्थ लोग टैक्स देने से बचने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करें। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक ओर जहां टैक्स चोरी करने वालों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर ईमानदारी से टैक्स देने वालों को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। दरअसल प्रोत्साहन के उपायों से ही जीएसटी को ईमानदारी के उत्सव के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सरकार को ईमानदारी से जीएसटी अदा करने वालों को प्रोत्साहित करने के साथ ही इस टैक्स व्यवस्था की शेष जटिलताओं को भी समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक वर्ष बाद यह देखा ही जाना चाहिए कि इस व्यवस्था में क्या कुछ तब्दीली करने की आवश्यकता है? यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी के अनुपालन में राज्यों की भूमिका की सराहना की। निश्चित तौर पर जीएसटी इसीलिए क्रियान्वित हो सका, क्योंकि राज्यों ने आम सहमति के आधार पर आगे बढ़ने और केंद्र से सहयोग करने का फैसला किया। अपने देश का जैसा राजनीतिक परिदृश्य बन गया है उसे देखते हुए यह सहमति न केवल उल्लेखनीय है, बल्कि नई राह दिखाने वाली भी। जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय है। ऐसे और अध्याय रचने की जरूरत है।

# तरक्की का राजमार्ग

**औद्योगिक रूप** से पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। दावा तो यही किया जा रहा है कि इसके सरपट दौड़ने की राह की बाधा दूर हो चुकी है। लखनऊ से गाजीपुर तक प्रस्तावित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति के बाद अब वन विभाग ने भी पहले चरण की क्लियरेंस दे दी है। इसलिए उप्र एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने बिना समय गंवाए परियोजना निर्माण के लिए पांच जुलाई तक निविदाएं मांग ली है। इसका टेंडर छह जुलाई को खुलेगा। इस परियोजना के लिए 93 फीसद जमीन खरीदी जा चुकी है। इतना ही नहीं परियोजना में इस्तेमाल की जाने वाली वन भूमि और इससे हरियाली को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यूपीडा ने वन विभाग को दो जिलों में जमीन उपलब्ध करा दी है। एक और जिले में जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जारी है। तब वन विभाग की ओर से दूसरे चरण की अनापत्ति भी मिल जाएगी।

> पूर्वांचल में उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी के अभाव में इनका पर्याप्त रूप से दोहन नहीं हो सका है

पूर्वी उत्तर प्रदेश में विभिन्न तरह के उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी के अभाव में इन संभावनाओं का पर्याप्त रूप से दोहन नहीं हो सका है। प्रदेश और देश के तमाम नामचीन नेता इसी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि औद्योगिक विकास के मामले में पूर्वांचल लगातार पिछड़ता गया, लेकिन अब केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के संतुलित विकास के लिए जो सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया है, उसने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं।

## कह के रहेंगे

माधव जोशी




## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या बिजली बचाने के लिए एसी निर्माता कंपनियों द्वारा एक निश्चित तापमान सीमा तय करना उचित कदम होगा?**




### आज का सवाल

क्या पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए भारत को उसके साथ कूटनीतिक रिश्तों में कटौती करनी चाहिए?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# प्रणब दा के साथ संघ विरोधियों को भी धन्यवाद



डॉ. मनमोहन वैद्य

**संघ तो अपनी बैठकों में चर्चा से आईना देख लेता है, लेकिन खुद को प्रगतिशील कहने वाले रूढ़िवादी और असहिष्णु लोगों की वाम-सेक्युलर लामबंदियां अपना चेहरा आईने में कब देखेंगी?**

अपने ही लोगों के तीव्र विरोध के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में नागपुर आए, इसके लिए उनका विशेष अभिनंदन एवं धन्यवाद। वह डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार के कक्ष में भी गए और वहां अपना भाव एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा। वह अत्यंत सहज-सरल थे। परिचय सत्र में जब संघचालक परिचय कराने वाले ही थे कि प्रणबदा ने कहा सब अपना-अपना परिचय देंगे और स्वयं खड़े होकर कहा, 'मैं प्रणब मुखर्जी'। उनकी यह सरलता सबके हृदय को छू गई। वहां दोनों भाषण 'एकम सत विप्राः बहुधा वदंति' का उत्तम उदाहरण थे। दोनों ने अलग-अलग शब्दों में लगभग एक ही बात कही। प्रणबदा ने यह स्पष्ट किया कि पश्चिम की राज्याधारित राष्ट्र की संकल्पना और भारतीय जीवनदृष्टि आधारित राष्ट्र की भारतीय संकल्पना भिन्न है। उन्होंने 5000 वर्षों की सांस्कृतिक धारा की बात की। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवंतु सुखिनः की परंपरा को दोहराया और सहिष्णुता, विविधता, सेक्युलरिज्म और संविधान की बात याद दिलाई। भागवत जी के भाषण का भी यही भाव था, शब्द जरा अलग थे। उन्होंने सहिष्णुता के स्थान पर सभी के समावेश की बात करते हुए कहा कि किसी भी भारतीय के लिए कोई अन्य भारतीय पराया नहीं हो सकता, क्योंकि सभी के पुरखे समान हैं। रिलीजन, भाषा या वंश के आधार पर नहीं, अपितु जीवनदृष्टि और जीवन मूल्यों के आधार पर ही भारत का राष्ट्रजीवन विकसित हुआ है और यही भारतीय राष्ट्रजीवन का आधार है, यह दोनों ने प्रतिपादित किया। दोनों के भाषणों में भारत की 5000 वर्ष पुरानी सर्वसमावेशक विविधता और विश्व को परिवार मानने वाली जीवनदृष्टि और परंपरा का गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ। चूंकि यही जीवनदृष्टि और मूल्य संविधान में भी अभिव्यक्त हुए इसलिए यह संविधान हमारी धरोहर है। इसका कारण भारत की अध्यात्म आधारित एकात्म और सर्वांगीण जीवनदृष्टि है। इसे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने हिंदू जीवन दृष्टि कहा है।

उदार जीवनमूल्य हमारी प्राचीन एकात्म और सर्वांगीण जीवन दृष्टि का परिणाम हैं। ये मूल्य हमें संविधान द्वारा मिले हैं। हम ऐसे हैं, इसका कारण यह नहीं कि हमारा संविधान ऐसा है, अपितु हम सदियों से ऐसे रहे हैं इसलिए हमारा संविधान ऐसा है। उसका सम्मान और पालन सभी को करना है। संघ ने यह लगातार किया है। संघ पर घोर अन्यायपूर्वक लादे गए प्रतिबंधों के समय संविधान सम्मत मार्ग से जो सत्याग्रह हुए वे अभूतपूर्व देशव्यापी, शांतिपूर्ण और अनुशासित थे। ऐसा अन्य किसी भी दल या संगठन का इतिहास नहीं है। संघ को संविधान विरोधी, अलोकतांत्रिक, हिंसक प्रचारित करने वाले किसी भी संगठन या दल का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो संघ के सत्याग्रह के समान व्यापक, शांतिपूर्ण और अनुशासित हो। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ही संघ को संविधान का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते दिखते हैं।



अवधेश राजपूत

प्रणबदा के भाषण के बाद उनके नागुपर आने का विरोध करने वालों की प्रतिक्रिया भारत के राजनीतिक एवं वैचारिक जगत में कम्युनिस्टों के प्रभाव एवं उपस्थिति की याद दिलाने वाली थी। उनकी विचारधारा अभारतीय होने के कारण उनकी प्रतिक्रिया में भी उदारता और सहिष्णुता का अभाव स्वाभाविक था। उनके द्वारा कहा गया, प्रणबदा ने संघ को आईना दिखाया। ध्यान देने वाली बात है कि प्रणबदा के नागपुर आने का विरोध करने वालों में से किसी ने भी भागवत जी के भाषण पर कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि उन्होंने यह भाषण सुना ही न हो। संभवतः अपनी जड़ वृत्ति के कारण उन्होंने उसे सुनने लायक ही नहीं समझा हो। ध्यान दीजिए, सर्वसमावेशिता में सहिष्णुता अंतर्निहित है और इसमें असहिष्णु आचरण करने वालों का भी समावेश है, किंतु कुछ लोग यह बात नहीं समझते। इनके लिए संघ के नजदीक जाना ही महापराध और ईशनिंदा है। ऐसे में सरसंघचालक क्या कह रहे हैं, यह सुनने का तो सवाल ही नहीं है! सरसंघचालक समाज के प्रभावशाली लोगों से मिलते हैं। एक सुप्रसिद्ध उद्योगपति ने मिलते समय हिंदू के स्थान पर भारतीय शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। तब भागवत जी ने कहा कि हमारी दृष्टि से दोनों में बहुत बड़ा गुणात्मक अंतर नहीं है। परंतु भारत शब्द के साथ एक प्रादेशिक संदर्भ आता है और हिंदू शब्द पूर्णतया गुणात्मक है। इसलिए आप भारतीय कहें, हम हिंदू कहेंगे, हम इतना समझ लें कि हम सभी एक ही बात कर रहे हैं।

यह बात जड़ और फासिस्ट कम्युनिस्टों को मान्य नहीं है। इनकी बिरादरी में आप उनके आदर्शों का गुणगान और हिंतुत्व की भर्त्सना नहीं करेंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए कम्युनिस्टों के 'स्वर्ग समान' केरल में संघ का काम करने के कारण मार्च 1965 से मई 2017 तक 233 संघ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इनमें से 60 प्रतिशत कार्यकर्ता वे थे जो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर संघ में आए थे। हिंदू राष्ट्र की सर्वसमावेशक सांस्कृतिक कल्पना आप कितनी भी बार समझाइए, कम्युनिस्ट और उनके सहचर उसे संकीर्ण, विभाजक और विभेदक ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तय कर दिया है कि आप ऐसे ही हो।

आज संघ में मुस्लिम, ईसाई स्वयंसेवक और प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। हिंदू के नाते हम मतांतरण में विश्वास नहीं करते। इसलिए वे वर्षों से स्वयंसेवक रहते हुए अपनी ईसाई या मुस्लिम उपासना का ही अनुसरण करते है। 1998 में विदर्भ प्रांत का शिविर था। तीन दिन के लिए 30,000 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेष में तंबुओं में रहे। ऐसे शिविर शुक्र, शनि, रविवार को ही होते हैं। शनिवार का व्रत रखने वाले कार्यकर्ताओं के लिए व्रत की अलग व्यवस्था होती है। तभी ध्यान आया कि वह रमजान का समय था और कुछ स्वयंसेवक रोजा रखने वाले हैं। उन रोजा रखने वाले 122 स्वयंसेवकों के लिए रात देर से रोजा छोड़ने की व्यवस्था की गई। यदि रमजान नहीं होता तो शायद यह पता भी नहीं चलता कि शिविर में रोजा रखने वाले स्वयंसेवक भी हैं।

उदार, लिबरल, सेक्युलर लोगों के बयान ध्यान से पढ़ेंगे तो उनका अलोकतांत्रिक, संकुचित, कट्टर, सांप्रदायिक, क्षुद्र चरित्र, जो भारत के परंपरागत चरित्र से एकदम विपरीत है, तुरंत ध्यान में आएगा। प्रणबदा के नागपुर आने के कारण उनका मुखौटा फिर से उतर गया। वे कहते हैं कि प्रणबदा ने संघ को आईना दिखाया। संघ तो हर वर्ष चिंतन बैठकों एवं प्रतिनिधि सभा में अपने आप ही आईना देख लेता है। वह अपने कार्य, मार्ग, कार्यपद्धति का सिंहावलोकन, आत्मावलोकन, मूल्यांकन करता है। इसके साथ ही आवश्यक परिवर्तन भी करता चलता है। किंतु खुद को प्रगतिशील कहने वाले रूढ़िवादी और उदार कहने वाले कट्टर-असहिष्णु लोगों की वाम-सेक्युलर लामबंदियां अपना चेहरा आईने में कब देखेंगी? यदि देखेंगी तो वह पाएंगी कि उनका मुखौटा अनेक जगह से फट गया है और उनका असली चेहरा सबको दिख रहा है। जनता इसीलिए उन्हें नकार रही है। प्रणबदा के आने से तमाम चैनलों ने इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जिससे तमाम लोगों को संघ को समझने में मदद मिली होगी। इसके लिए विरोध करने वालों का धन्यवाद।

(लेखक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं)

response@jagran.com

# बेहतर शिक्षकों के चयन की चुनौती



निरंजन कुमार

**अध्यापन के द्वार योग्यतम लोगों के लिए ही खुलने चाहिए, क्योंकि यह मसला सिर्फ नौकरी का नहीं है**



हाल में एक अमेरिकी प्रोफेसर मित्र ने एक चर्चा के दौरान कहा कि अमेरिकी शासनतंत्र नीति निर्माण में 25 वर्षों की योजना बनाकर काम करता है जबकि चीनी लोग अमूमन 50 सालों की योजना बनाते हैं। उनकी तुलना में नियोजन को लेकर हम भारतीयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। हमारी योजनाओं में कई बार न केवल एक तदर्थता या एड हॉकिज्म का भाव दिखाई पड़ता है, बल्कि अनेक बार ये सुविचारित भी नहीं होते। खास तौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तो यह स्पष्ट दिखाई देता है। नवीनतम उदाहरण विश्वविद्यालयों-कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हालिया घोषणा है। हालांकि इस घोषणा में कई सकारात्मक पहलू भी हैं। एक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने की आकांक्षा को पूरा करने में उच्च शिक्षा की बड़ी भूमिका होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा और शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत है। इस गुणवत्ता को बढ़ाने में अन्य विकल्पों के अलावा यह भी अत्यंत जरूरी है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में योग्यतम शिक्षकों की भर्ती हो। हमारे संस्थानों में शिक्षकों की संख्यात्मकता के साथ-साथ गुणात्मकता की भी समस्या है। संभवतः इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के संबंध में ये घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण तथा स्वागतयोग्य है वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों/संस्थानों से पीएचडी डिग्री प्राप्त लोगों की सहायक प्रोफेसरों के रूप में भर्ती के लिए विशेष प्रावधान किया जाना। इस प्रावधान का दूरगामी महत्व इस रूप में समझा जाए कि दुनिया के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या मुश्किल से 8-10 ही है। इनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, 6-7 आइआइटी और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही नाम शामिल हैं। इन शीर्ष 500 संस्थानों से पीएचडी प्राप्त लोगों की नियुक्ति का विशेष अभियान निःसंदेह हमारे शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में एक मील का पत्थर साबित होगा। अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अपने अध्यापन के दौरान मैंने पाया कि विदेशों में पढ़े अनेक भारतीय देश वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन भारतीय शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति की जटिलताओं की वजह से वे लौट नहीं पाते जबकि अमेरिका पूरी दुनिया से श्रेष्ठ शिक्षकों को आमंत्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता।

लेकिन हालिया घोषणा के कुछ बिंदुओं पर शायद ठीक से चिंतन-मनन नहीं किया गया है जिस पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को पुनर्विचार करने की जरूरत है। वर्तमान घोषणा में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य अर्हता होगी। जबकि कॉलेजों में नियुक्ति के लिए या तो पीएचडी अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ नेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा या स्लेट यानी राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यहां दो तरह की समस्याएं हैं। एक तो पीएचडी संबंधी, दूसरे नेट संबंधी। नेट यूजीसी द्वारा आयोजित एक अखिल भारतीय परीक्षा है जिसमें पास होने का मतलब है कि उस विषय में उम्मीदवार का ज्ञान समुचित है। जबकि पीएचडी एक तरह की विशिष्ट विशेषज्ञता है जिसमें किसी विषय के बहुत ही छोटे से पहलू पर विशिष्ट ज्ञान हासिल होता है। पीएचडी किया हुआ व्यक्ति अपने विषय के उस पहलू का विशेषज्ञ तो हो सकता है, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं कि वह समग्र विषय का भी अच्छा और समुचित ज्ञान रखता हो। स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के लिए सिर्फ पीएचडी को आधार बनाना उचित कदम नहीं होगा। यहां पीएचडी के साथ-साथ नेट की अनिवार्यता भी होनी ही चाहिए। यहां सवाल उठ सकता है कि फिर विदेशी पीएचडी वालों को नेट की छूट क्यों? तो यहां समझना जरूरी है कि विदेशों में पीएचडी में प्रवेश उन्हीं को मिलता है जो उस विषय में मुकम्मल ज्ञान रखते हैं।

इसके अतिरिक्त पीएचडी से संबंधित एक अन्य समस्या भी है और वह है पीएचडी में दाखिले की प्रक्रिया। इसके लिए आमतौर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा होती है। हालांकि नेट पास लोगों को इस परीक्षा से छूट होती है। फिर नेट और प्रवेश परीक्षा में पास लोगों का इंटरव्यू होता है। फिर जाकर अंतिम एडमिशन होता है। दरअसल पीएचडी में दाखिले को लेकर एक बड़ी समस्या यह है कि जो विद्यार्थी नेट पास न हो उसे विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता है। इसमें धन, ऊर्जा तथा समय की खासी बर्बादी होती है। कई विश्वविद्यालयों में परीक्षा का स्तर भी निम्न होता है। यह बहुत जरूरी है कि एआइट्रिपलई अथवा नीट की तर्ज पर पीएचडी में दाखिले के लिए एकल प्रवेश परीक्षा हो। यह छूट हो सकती है कि विभिन्न विश्वविद्यालय इंटरव्यू अपने-अपने यहां करें ताकि अपनी विशेषज्ञता के अनुसार विद्यार्थियों का दाखिला हो सके। संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने से पीएचडी संबंधित एक और समस्या का भी हल हो जाएगा। वह यह कि परीक्षा का पैटर्न विभिन्न विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न है। कहीं यह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है जैसे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में तो कहीं यह पूर्णतया सब्जेक्टिव या व्याख्यात्मक है जैसे कि जेएनयू में है। उचित यही होगा कि परीक्षा में दोनों का मिलाजुला रूप हो। रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ तो हो सकता है, लेकिन विषय संबंधित प्रश्न पत्र व्याख्यात्मक ही होना चाहिए। इसी से उम्मीदवार के ज्ञान की गहराई और विश्लेषण क्षमता का पता चल सकेगा।

असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के दूसरे आधार नेट पर भी आज प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसके वर्तमान पैटर्न में एक बड़ी कमी है कि इसका पूरी तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला होना। वर्ष 2012 के पूर्व तक इस परीक्षा में एक व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र भी होता था, लेकिन 2012 से बिना किसी तार्किक और उचित कारण के व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र को खत्म कर दिया गया जो घातक सिद्ध हो रहा है। आज नेट पास तमाम लोग मिल जाएंगे जिन्हें ठीक से एक पृष्ठ लिखना भी नहीं आता। इनके द्वारा विद्यार्थियों का जो 'कल्याण' होगा उसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। स्लेट को भी खत्म कर दिया जाना चाहिए। कई राज्यों ने इसके जरिये अपने कम मेधावी छात्रों के लिए एक तरह से पिछला दरवाजा खोला है। यह न केवल उच्च शिक्षा, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है।

अध्यापन के द्वार योग्यतम लोगों के लिए ही खुलने चाहिए, क्योंकि यह मसला सिर्फ नौकरी का नहीं है। इससे कई पीढ़ियों के भविष्य के साथ-साथ समाज, राज्य व राष्ट्र की प्रगति भी जुड़ी होती है। प्रश्न है कि क्या नीति नियामक हिंदी अखबारों में उठाई बातों का कभी संज्ञान भी लेंगे?

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

## ऊर्जा

### अच्छा समय

किसी भी अच्छे कार्य को प्रारंभ करने के लिए 'अभी' का समय सबसे अच्छा होता है। कई लोग केवल इसी आशा में कि अच्छा मुहूर्त आएगा, अपने कार्य को टालते रहते हैं। ऐसा करके वे अपने भाग्य को भी टालते रहते हैं। भाग्य कुछ और नहीं केवल हमारे कार्य करने की क्षमता एवं कुशलता है। अगर आपने अपने मन में किसी नए लक्ष्य को निर्धारित कर लिया है तो उसके लिए सही समय का इंतजार मत करिए, बस सीधा रण मैदान में कूद पड़िए। समय अपने आप सही हो जाएगा। कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे? क्योंकि कई कार्य ऐसे होते हैं जिनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उसके लिए समय का इंतजार मत कीजिए। समय को पकड़ कर उस पर सवार हो जाइए। हम सभी जानते हैं कि समय उड़ता है। अगर आप उसे नहीं पकड़ेंगे, वह तब भी उड़ जाएगा। हां यदि आप समय को पकड़ कर उसके साथ-साथ चलेंगे तो अपने लक्ष्य तक समय पर अवश्य पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप समय के पायलट हैं।

याद रखिए कि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही प्रारंभ होती है। एक-एक कदम चलने पर वह हजारों मीलों में बदल जाते हैं। इसी तरह एक काम को अभी से प्रारंभ कर दीजिए, आपके अनेकों काम स्वयं होते चले जाएंगे। वहीं यदि इस आशा में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे कि कोई हाथ बढ़ाएगा, दिशा दिखाएगा तो उम्र बढ़ती जाएगी और हम वहीं बैठे रह जाएंगे। कारवां किसी का इंतजार करने से कभी नहीं बनता, कारवां तब बनता है जब हिम्मत एवं हौसले के साथ अकेले ही अपने मार्ग पर बढ़ने का साहस जुटाया जाता है।

कई बार हम यह बोलते रहते हैं कि शुरुआत करने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। कुछ सुविधाएं कहीं से आ जाएंगी तो कार्य प्रारंभ करने में सुकून रहेगा। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सुविधाएं तब आती हैं जब आप उनके अभाव में ही कार्य करने के लिए चल पड़ते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को कभी भी टालना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करते रहते हैं उनके लिए वह सही समय कभी आता ही नहीं और जो अच्छे मुहूर्त या समय की प्रतीक्षा किए बिना अभी शुरू हो जाते हैं, उनके लिए समय कभी खराब होता ही नहीं।

रेनू सैनी

## पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

### योग का किसी धर्म से नाता नहीं

राजनीतिक संकीर्णता का योग शीर्षक के तहत लिखे अपने लेख में संजय गुप्त ने योग दिवस को मोदी विरोधी दलों द्वारा राजनीतिक चश्मे से देखने पर अपना विचार रखा है। जो शरीर को दुरुस्त और बीमारियों से बचाव करने वाले योग दिवस को राजनीति या धर्म के चश्मे से देख रहे हैं उनसे यह सवाल है कि जब उनको कोई बीमारी आ घेरती है तो क्या वे इलाज करवाने से पहले डॉक्टर की जाति या धर्म पूछते हैं? या फिर जब जिंदगी बचाने के लिए खून की जरूरत पड़ती है तो रक्त दान करने वाले का धर्म पूछते हैं? भारत की विरासत योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमारे देश की राजनीति का स्तर इस हद तक गिर चुका है कि इसमें किसी भी मुद्दे पर ओछी राजनीति करने से परहेज नहीं किया जाता। भारत की विरासत और संस्कृति की पहचान योग की आज सारी दुनिया कायल हो गई है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सारी दुनिया में मनाया जाने लगा है, जिसमें लगभग हर धर्म संप्रदाय के लोग भाग लेते हैं। योग किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि हर शरीर को निरोग रखने के लिए संजीवनी है। इतना होने के बावजूद भी भारत में कुछ लोग योग का विरोध या ओछी राजनीति कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। भारत विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विरोध के नाम पर भारत की विरासत योग का विरोध करें।

raju09023693142@yahoo.com

### लापरवाही की आग

शहर कोई हो, हर जगह की समस्या एक ही और वह है लापरवाही और भ्रष्टाचार। इन्ही लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से आग लगती है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। आज कोई भी कंपनी, होटल आदि बड़ी इमारत बनवाने को तो लोग बना लेते हैं लेकिन फायर सिस्टम लगवाने से बचते हैं। कुछ इमारतों में अग्निशमन यंत्र या तो लगवाते नहीं या फिर लगा सिस्टम भी काम नहीं करता, यही लापरवाही जानलेवा बन जाती है। अगर इसको गंभीरता से लिया जाए तो कुछ हादसों को रोका जा सकता है।

नीरज कुमार पाठक, नोएडा

### पत्थरबाज आम नागरिक नहीं

कुछ नेताओं के बिगड़े बोल से घाटी में सेना के द्वारा दहशतगर्दी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बाधा पड़ती है। जिस तरह से पहले कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने पाकिस्तान के पूर्व सेनाध्यक्ष मुशर्रफ की विचारधारा से सहमति दिखाई और फिर बाद में इसी पार्टी के राज्यसभा में नेता प्रमुख गुलाम नबी आजाद का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि सेना के आतंक विरोधी अभियानों से आतंकी कम, आम नागरिक ज्यादा मर रहा है, ऐसा बयान देश प्रेमी जनता को निराश करने वाला है। आखिर वह कैसे भूल गए कि घाटी में आतंकरोधी कार्रवाई में पत्थरबाजों के समूह सेना पर हमला कर आतंकवादियों को बचाने का प्रयास करते हैं। इन पत्थरबाजों को आम नागरिक कैसे माना जा सकता है।

शैलेंद्र सिंह, नई दिल्ली

### किसानों के हित में नीति बने

किसान आंदोलन के लिए विवश है, आखिर क्यों? महाराष्ट्र से लेकर मध्यप्रदेश व बिहार तक के किसान अगर समय-समय पर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो इसके पीछे जरूर उनकी कोई मजबूरी होगी। किसान जी-तोड़ मेहनत कर फसल उगाता है, लेकिन उसे उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। सरकार को किसानों के हित में कुछ नीति बनानी चाहिए, जिससे उन्हें लागत के साथ उचित मुनाफा भी मिल सके।

चयन यादव, दिल्ली विवि

### पेड़ लगाएं, काटें नहीं

दक्षिण दिल्ली की कुछ कालोनियों के पुर्निमाण की योजना है। इसके लिए बड़ी संख्या में पेड़ काटने की तैयारी हो रही है। हालांकि स्थानीय लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की योजना चिंतनीय है। एक ओर पूरी दुनिया पर प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है और पेड़ों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को उपहार में एक- एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, फिर देश की राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की योजना बेहद निराश करने वाली है। वो भी ऐसे पेड़ जो बहुत ही हरे भरे और बरसों पुराने हैं। एक ओर जहां दिल्ली की हवा में जहरीला प्रदूषण दिन प्रतिदिन लोगों की सांसों में घर कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार इन पेड़ों को काटने जा रही है जो कि दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर की संजीवनी बन कर साफ हवा और ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर इन पेड़ों को काट दिया गया तो इसका असर दिल्ली वालों पर बहुत बुरा होगा जिसके परिणाम आने वाले 20 वर्षों में दिखाई देंगे, जब लोगों के सामने साफ हवा और ऑक्सीजन की बड़ी समस्या खड़ी होगी। ऐसी योजना ही क्यों बनाई गई कि, जिसमें पेड़ों को काटना पड़े। क्या इन बहुमंजिला इमारत में रहने वाले लोगों को साफ और शुद्ध हवा नहीं चाहिए? उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी? एक तरफ शहरी क्षेत्र में पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं मिल रही है, वहीं लगे हुए पेड़ों को काटने के बारे में योजना बन रही है। कोई भी पेड़ आसानी से तैयार नहीं होता है। किसी भी पेड़ को तैयार होने में करीब 20 साल लग जाते हैं। संबंधित विभाग हर साल तमाम पेड़ लगाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम आगे बढ़ पाते हैं। ज्यादातर सूखकर खत्म हो जाते हैं। ऐसे में कम से कम जो पेड़ तैयार हैं उन्हें तो न काटा जाए। संबंधित विभाग को बिना पेड़ काटे योजना तैयार करनी चाहिए।

अंतिमा सिंह, दिल्ली

## ट्वीट-ट्वीट

अब सरकार ही तय करेगी कि हमें कितने तापमान पर एसी चलाना चाहिए? आगे शायद यही निर्देश आए कि हम कितना चावल खा सकते हैं या कितना पानी पी सकते हैं।
निधि राजदान@Nidhi

फुकुशिमा हादसे के बाद जापान ने सार्वजनिक इमारतों के लिए एसी का तापमान 27 डिग्री तय कर दिया है? भारत सरकार तो बहुत ही व्यावहारिक 24 डिग्री की बात कर रही है। इससे बिजली खपत में भारी अंतर आएगा। 18 डिग्री पर चलने वाला एसी लोगों को जरूरत से ज्यादा ठंड का अहसास कराकर बिजली ही बर्बाद करता है।
प्रशांतो के रॉय@prasanto



सेवानिवृत्ति के बाद अपने तमाम साक्षात्कारों में जस्टिस चेलमेश्वर ने काश कि एक बार भी यह बताया होता कि हमारी न्यायिक प्रणाली इतनी खस्ताहाल क्यों है? न्याय पाने में कई दशक क्यों लग जाते हैं? तमाम भारतीय न्याय पाने का खर्च क्यों नहीं उठा सकते। मुकदमों का इतना अंबार क्यों लगा हुआ है?
तवलीन सिंह@tavleen_singh

अगर आप चैन की सांस लेना चाहते हो तो दिल्ली चिपको आंदोलन से जुड़िए, क्योंकि अफसरों के आवास के लिए 17,000 पेड़ काटे जा रहे हैं। अब आप तय करें कि संघर्ष करेंगे या चुप रहेंगे?
अंकिता शाह@Ankita_Shah8

## जनपथ

कंधा भी दे दीजिए आतंकी को आप,
उसके शव पर कीजिए फूल चढ़ाकर जाप।
फूल चढ़ाकर जाप निकलने लगे जनाजा,
तो बजाइए आप शोक का जाकर बाजा।
देख रहा है देश आपका गोरखधंधा,
दे देगा इस बार आपके दल को कंधा।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 28 अंक 341